यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्या, एम॰के॰पी॰ (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्या, एम॰के॰पी॰ (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** के माह 08/2017 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री के॰पी॰ सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय पाल सिंग नेगी व॰ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13-08-2020 से 19-08-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज कुमार, लेखापरीक्षक, श्री खुशीराम नौटियाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक व सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.08.2017 से 11.08.2017 तक श्री पुष्कर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्राचार्या, एम॰के॰पी॰ (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** का मुख्य कार्यकलाप बालिकाओ को शिक्षा प्रदान करना है।

(ब) **प्राचार्या, एम॰के॰पी॰ (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण भारतवर्ष की बालिकाये शिक्षा ग्रहण करती है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	-	700.07	700.07	-	-
2018-19	-	821.13	821.13	-	-
2019-20	-	822.70	822.70	-	-
2020-21 (06/2020)	-	200.06	200.06	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
2017-18	RUSA	-	-	-	-
2018-19		-	-	-	-
2019-20		-	100.00	70.00	30.00
2020-21 (06/2020)		30.00	-	-	-

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकार, केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव → निदेशक → प्रबन्धक → प्राचार्या → कार्यालय अधीक्षक → लेखाकार

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्राचार्या, एम.के.पी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्या, एम.के.पी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 02/2019 एवं 10/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2-ब

प्रस्तर01- निर्माण कार्यो के डीपीआर मे रु 3.05 लाख का contingency के रूप मे अनियमित प्रावधान ।

प्रमुख सचिव नियोजन विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 738/रा0यो0आ0/2011 दिनाक 17 जून 2011 जो विभिन्न तकनीकी विभागो के प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष के साथ तकनीकी विषयो पर सम्पन्न कार्यशाला के निष्कर्षो पर कार्यवाही से संबन्धित थी, के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार “ **विभिन्न विभागो के प्राक्कलन मे पाया गया है कि कंटिजेंसी के अतिरिक्त overhead charges का भी प्रावधान किया जा रहा है जो एक ही प्रकार के कार्यो कि द्विरावृत्ति है। साथ ही contingency शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्रावधान मे प्रथक से भी किये जाने के मामले प्रकाश मे आये है। contingency का प्राविधान लोक निर्माण विभाग कि दर अनुसूची मे निहित रहता है। अतः तदनुसार ही contingency का प्राविधान प्राक्कलन मे किया जाय तथा contingency के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्राविधान कदापि प्रथक से न किया जाय।“**

वर्ष 2016 के DSR के दर सूची (analysis of rate) मे 15 प्रतिशत CPOH (Contractor profit and overhead) जोडकर भुगतानित दर का प्रावधान किया गया था ।

महाविद्यालय द्वारा उक्त DSR कि दरो पर कराये गये निर्माण कार्यो के प्राक्कलनो के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया कि डीपीआर मे प्रथक से भी कंटिजेंसी का प्रावधान किया गया था । निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय के निम्नलिखित निर्माण कार्य मे विसंगतियाँ प्रकाश मे आयी-

क्रम संख्या	**योजना का नाम**	**निर्माण कार्य कुल मूल लागत**	**निर्माण लागत**	**Contingency @ 4 या 3 प्रावधानित**	**दरो हेतु प्रयुक्त DSR**
1.	**building का निर्माण (Rusa)**	**195.81**	**104.91**	**3.05 (3% कि दर से)**	**DSR 2016**

उपर्युक्त प्रारूप से स्पष्ट है कि DSR 2016 कि दरो मे CPOH को 15% शामिल करते हुए दरे निर्धारित की गयी थी। जो उत्तराखंड शासन के वर्ष 2011 के शासनादेश के अनुसार था। किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा DSR की दरो के अतिरिक्त contingency की प्रथक दरे भी प्राक्कलन बनाते समय लागत मे शामिल की गयी। जो उक्त शासनादेश एवं DSR मे विहित overhead के विपरीत थी ।

इस संबंध मे महाविद्यालय से पूछने पर जवाब दिया गया की कार्यदायी संस्था से पूछ कर जवाब दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर अमान्य था, वर्ष 2011 के उक्त शासनादेश मे यह स्पष्ट दिशानिर्देश था कि कंटिजेंसी के अतिरिक्त overhead charges का भी प्रावधान एक ही प्रकार के कार्यो कि द्विरावृत्ति है। अतः contingency के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्राविधान कदापि प्रथक से न

किया जाय। डीपीआर बनाते समय महाविद्यालय एवं कार्यदायी संस्था को इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये था। तथा शासन के तकनीकी सेल एवं नियोजन विभाग को भी उक्त तथ्य को ध्यान मे रखकर डी0पी0आर0 को स्वीकृत किया जाना चाहिये था। जो नहीं किया गया।
अतः निर्माण कार्यो कि डीपीआर मे contingency का अनियमित रूप से रु 3.05 लाख का प्रावधान कर लागत मे वृद्धि एवं दोहरे भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर02:- छात्र निधियो के अन्तर्गत रु 130.00 लाख की धनराशि का अवरोधन।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार छात्रकोष की राशि उसी मद मे व्यय की जाएगी जिसके लिए बसूल की गयी है। बिन्दु संख्या 7 के अनुसार यदि किन्ही कारणो से किसी छात्रकोष मे बचत होती है और यह बचत 3 वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कॉलेज की प्रबंध समिति के अनुमोदनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कॉलेज की छात्रनिधियो से संबन्धित लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि छात्र निधियो मे प्राप्त धनराशि को छात्र कल्याणकारी कार्यो पर व्यय न करके रु 130.54 लाख की धनराशि को एफ़डीआर के रूप मे अवरूद्ध रखा जा रहा है तथा एफ़डीआर के अतिरिक्त इन छात्रनिधियों मे वर्तमान मे रु 53.25 लाख की धनराशि अवशेष (विवरण संलग्न) पड़ी हुई है।

संलग्न तालिका एवं उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि छात्रनिधियो का उपयोग छात्राओं के कल्याणकारी कार्यो मे न करके उक्त धनराशि को महाविध्यालय द्वारा ब्याज प्राप्त हेतु उपयोग किया जा रहा है। आगे जांच मे पाया गया कि कई निधियो मे जैसे विकास निधि चिकित्सा निधि, छात्रा कल्याण निधि, भूतपूर्व छात्रा निधि एवं वोकेशनल निधि मे विगत 3 वर्षो मे कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी तथा इसके साथ ही विगत 3 वर्षो मे काशनमनी की धनराशि छात्राओ को वापस नहीं की जा रही है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यो एव आंकणों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि भविष्य मे निधियो का उपयोग छात्र कल्याणकारी कार्यो मे किया जाएगा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यो एव आंकणों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि छात्र निधियो मे अधिक धनराशि होने के कारण धनराशि को एफ़डीआर के रूप मे रखा गया है तथा भविष्य मे छात्र निधियो का व्यय छात्राओ के कल्याणकारी कार्यो मे व्यय किया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः छात्र निधियो के अन्तर्गत रु 130.00 लाख की धनराशि के अवरोधन का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01- **महाविध्यालय के संस्थागत उद्देश्यों की पूर्ति न होना।**

महाविध्यालय का उद्देश्य देश की युवा महिलाओ को ऐसी उत्कृष्ठ शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना जो पारस्परिक भारतीय संस्कृति से जुड़ी होते हुये बहुआयामी हो समय के अनुरूप हो।

1- शासनादेश संख्या 384/XXIV(7)/1(6)/2016 दिनांक 11.08.16 के अनुसार एम॰के॰पी॰ महाविध्यालय मे मानव विज्ञान विषय संचालित करने हेतु 02 पदो (01 असिस्टेंट प्रोफेसर, 01 प्रयोगशाला सहायक) के सृजन की स्वीकृति दी गयी थी, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक न तो पदो का सृजन किया गया और न ही मानव विज्ञान विषय प्रारम्भ किया गया है।

2- यूजीसी के दिशानिर्देश 2017 के बिन्दु संख्या 4.1 (vii) के अनुसार faculty Student का अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए तथा Part time faculty को इसमे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु महाविध्यालय मे 2 कोर्स बी.ए. मे 1:41 तथा बी.कॉम. मे 1:130 का अनुपात था (विवरण संलग्न) जो कि यूजीसी के मानको के अनुसार बहुत अधिक है, फ़ैकल्टी की संख्या कम होने के कारण बी.ए. मे छात्राओ के अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत (2015-16 मे 48, 2016-17 मे 43) बहुत अधिक है।

3- महाविध्यालय मे एम.ए. मे विगत 4 वर्षो मे 50 प्रतिशत से अधिक छात्राओं की सीटे रिक्त रही है। उक्त से स्पष्ट होता है कि महाविध्यालय द्वारा उपलब्ध सीटो की क्षमता के अनुसार उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

4- विश्वविध्यालय के शिक्षणेत्तर संवर्ग मे स्वीकृत पदो के सापेक्ष कार्यरत पदो के विवरण मे देखा गया है कि विश्वविध्यालय मे 68 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 28 पद (41 प्रतिशत) रिक्त है, तथा शिक्षण संवर्ग मे 62 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 36 पद (लगभग 58 प्रतिशत) रिक्त है जिस कारण महाविध्यालय के अन्तर्गत होने वाले शिक्षण एवं कार्यालय के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाविध्यालय द्वारा शासनादेश तथा यूजीसी के मानको का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। महाविध्यालय मे निर्धारित सीटो की क्षमता के अनुसार उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, शिक्षण संवर्ग तथा शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदो मे भारी कमी है जिससे शिक्षण एवं कार्यालय के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि

1- महाविध्यालय द्वारा सिक्योरिटी राशि जमा न कराये जाने के कारण मानव विज्ञान स्कूल प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

2- प्रबंध तंत्र और शासन के विवाद के कारण फ़ैकल्टी नियुक्त नहीं हो पा रही है।

3- व्यावसायिक कोर्सो मे छात्राओ की रुचि होने के कारण नियमित कोर्सो मे सीटे रिक्त है।

4- शिक्षणेत्तर संवर्ग मे पदो के रिक्त होने के कारण बहुत से महत्वपूर्ण कार्यो को समय सीमा मे संपादित नहीं किया जाता।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि महाविध्यालय द्वारा शासनादेश के 04 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी वर्तमान तक मानव विज्ञान स्कूल प्रारम्भ नहीं किया जा सका, फ़ैकल्टी की संख्या मे भारी कमी के कारण परीक्षा परिणाम पर व्यापक असर पद रहा है तथा शिक्षणेत्तर संवर्ग मे अधिक मात्रा मे रिक्तियों के कारण कार्य समय से संपादित नहीं हो पाते है।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ'	भाग-II 'ब'
169/2013-14	1	1,2
204/2014-15	-	1,2,3
57/2017-18	--	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
169/2013-14, 204/2014-15, 57/2017-18		लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्या, एम॰के॰पी॰ (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा॰ इन्दू सिंह	प्राचार्या	01.01.17 से 07.02.18
2	डा॰ किरण सूद	प्राचार्या	08.02.18 से 25.04.18
3	डा॰ इन्दू सिंह	प्राचार्या	26.04.18 से 30.06.18
4	डा॰ सुनीता कुमार	प्राचार्या	01.07.18 से 13.07.19
5	डा॰ साधना गुप्ता	प्राचार्या	14.07.19 से 04.09.19
6	डा॰ रेखा खरे	प्राचार्या	05.09.19 से 19.10.19
7	डा॰ सुनीता कुमार	प्राचार्या	20.10.19 से 04.10.19
8	डा॰ रेखा खरे	प्राचार्या	05.10.19 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्या, एम॰के॰पी॰ (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.1) को प्रेषित कर दी जाएगी।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/

AMG-I